संशोधन

संख्या- 139 /2026 / 1028 /चार-2026-1728634

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2026**

विषयः- भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के अन्तर्गत रेडियो जयघोष हेतु वित्तीय वर्ष-2025-26 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-113/2026/628/चार-2026-1728634 दिनांक 29 मार्च, 2026 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में शासनादेश संख्या- 113/2026/628/चार-2026-1728634 दिनांक 29 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश संख्या- 113/2026/628/चार-2026-1728634 दिनांक 29 मार्च, 2026 में टंकण त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 2025-26 आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अधीन लेखाशीर्षक-2025-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-102-कला और संस्कृति का संवर्द्धन-08-रेडियो जयघोष-42-अन्य व्यय मद अंकित हो गया है।

3. अतः इस संबंध में शासनादेश संख्या-113/2026/628/चार-2026-1728634 दिनांक 29 मार्च, 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2026 में **प्रस्तर-4** में अंकित '' लेखाशीर्षक-2025-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-102-कला और संस्कृति का संवर्धन-08-रेडियो जयघोष-42-अन्य व्यय मद'' **के स्थान पर** '' लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्धन-08-रेडियो जयघोष-42-अन्य व्यय मद'' पढ़ा जाए।

4. उक्त शासनादेश संख्या-113/2026/628/चार-2026-1728634 दिनांक 29 मार्च, 2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कुल सचिव, भातखण्डे, संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in